वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ 91/2020 दिनांक: अक्टूबर1 ,6/2020

प्रेस नोट

थाना रोहनियां पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त दिलीप कुमार सिंह उर्फ बासू द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गयी अदद 02मोटरसाइकिल कुल कीमत रु0-42,000-/ की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14)1के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। (

थाना रोहनियां, वाराणसी में पंजीकृत मु 0सं0अ0478/2019 धारा-3)1 (उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि से संबंधित अभियुक्त 1986 0दिलीप कुमार सिंह उर्फ बासू पुत्र सकलनरायन सिंह निवासी देरखू रोहनिया वाराणसी एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। दिलीप कुमार सिंह उर्फ बासू द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से दो अदद मोटरसाइकिल हीरो सुपर सीडी डिलक्स संख्याः यूपी-65 एएस-4366 कीमत रु0-18,000-/ व मोटरसाइकिल बजाज पल्सर संख्याः यूपी-65 एवाई-3365 कीमत रु0-24,000/-को क्रय किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने सम्बन्धी निर्गत आदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 16.10.को प्रभारी निरीक्षक रोहनियां परशुराम त्रिपाठी द्वारा मय हमराह पुलिस बल 2020 के उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि 1986 0की धारा 14(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त दिलीप कुमार सिंह उर्फ बासू उपरोक्त की मोटरसाइकिल हीरो सुपर डिलक्स व बजाज पल्सर जिसकी कुल कीमत रु0-42,000 -/है ,की गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास-

1–मु0अ0सं0-05/2018 धारा-120-B/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना रोहनिया वाराणसी।

2– मु0अ0सं0-364/2019 धारा-302/120बी/34 भादवि थाना रोहनिया वाराणसी।

3–मु0अ0सं0-478/2019 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोध क्रिया कलाप नि0 अधि-01986 जनपद वाराणसी।

कुर्क करने वाली पुलिस टीम-:

- प्रभारी निरीक्षक रोहनियां परशुराम त्रिपाठी, का0 अविनाश शर्मा, का0 भावेश कुमार मिश्रा थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

जी.पी.स्टोर

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /922020 दिनांक: अक्टूबर1 ,6/2020

प्रेस नोट

दिनांक 06-08-2020 को थाना मण्डुवाडीह क्षेत्र में पिकेट ड्यूटी के दौरान नो इन्ट्री में ट्रकों से अवैध वसूली करने, प्राइवेट व्यक्ति से वसूली कराने, उससे वार्ता करने एवं तथ्यों को छिपाने के आरोप में दोषी पाये जाने के फलस्वरुप आज दिनांक 16-10-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा थाना मण्डुवाडीह में नियुक्त मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र गिरी व आरक्षी अंकित कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।

उक्त प्रकरण में पूर्व से निलम्बित मुख्य आरक्षी तेजबहादुर यादव, आरक्षी बलवन्त कुमार तथा आज निलम्बित किये गये मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र गिरी व आरक्षी अंकित कुमार राय को प्रारम्भिक जॉच में दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रचलित की गयी।

ट्रकों से अवैध वसूली में संलिप्त प्राइवेट व्यक्ति आरोपी प्रभाकर राय द्वारा वसूली में संलिप्त अन्य पुलिस कर्मियों के बताये गये नामों के आधार पर जॉच में दोषी पाये जाने पर थाना मण्डुवाडीह में नियुक्त आरक्षी महेन्द्र सिंह, आरक्षी अनूप कुमार सिंह, आरक्षी नीरज राय व थाना रोहनियां में नियुक्त आरक्षी जितेन्द्र सिंह को लाईन हाजिर किया गया, साथ ही उक्त आरक्षीगण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रचलित की गयी।

सजगता/सतर्कता के अभाव का दोषी पाये जाने पर प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह महेन्द्र राम प्रजापति व चौकी प्रभारी लहरतारा उ0नि0 अजय कुमार यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी तथा उ0नि0 अजय कुमार यादव को लाईन हाजिर किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /932020 दिनांक: अक्टूबर1 ,6/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 16.10.2020 को थाना कोतवाली के उ प्रीतम तिवारी मय हमराह 0नि0पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गस्त में डीएवी तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कारतूस व तमंचा लेकर SSPG कबीरचौरा अस्पताल की चारदीवारी के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ 0नि0द्वारा मय हमराह पुलिस बल के कबीरचौरा अस्पताल के पास पहुँचकर एसएसपीजी हास्पिटल गेट के पास खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया अदद 02 जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से , नाजायज जिन्दा कारतूस.-315 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रकाश सिंह को समय 10. बजे 20गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 दिनेश सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गदाईपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस.-315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 प्रीतम तिवारी चौकी प्रभारी-कबीरचौरा व कादिनेश यादव थाना कोतवाली जनपद 0 वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /942020 दिनांक: अक्टूबर1 ,6/2020

प्रेस नोट

दिनांक 15-10- को थाना 2020शिवपुर के उनारायण दूबे मय हमराह पुलिस बल के 0नि0 ,देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्तिगस्त के दौरान क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना /वाहन/ मिली किमु0343 0स0अ0/2020 धारा 419/420/467/468/भादवि 471 से सम्बन्धित अभियुक्त सतीश कुमार सहाय उर्फ संजय पुत्र सेवालाल निवासी खरगपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी, ओलंम्पियन गेट पर मौजूद हैं, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास करके उ द्वारा मय हमराह पुलिस बल के 0नि0ओलंम्पियन गेट पहुँचकर सड़क के किनारे खड़े अभियुक्त सतीश कुमार सहाय उपरोक्त को समय 22.बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना 40 के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

- सतीश कुमार सहाय उर्फ संजय पुत्र सेवालाल निवासी खरगपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी उम्र 44 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 नारायन प्रसाद दूबे, कां0 अशिलेश कुमार यादव व कां0 विनोद कुमार थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या :पीआरओ /952020 दिनांक: अक्टूबर/16 ,2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 16-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल38 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *46 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1911 वाहनों का चालान, 12 वाहनों को सीज तथा 271 वाहनों से रु0-2,30,400/ -समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 16-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1673 व्यक्तियों से रु0-64,400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।